5 Incidents : SDPI involvement in love Jihad and Conversion

केरल के **कोल्लम** के कोट्टारक्करा में एक लापता **गैर-मुस्लिम युवती**, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के एक मुस्लिम कार्यकर्ता के घर से 3 जुलाई, 2025 को बरामद हुई। केरल पुलिस ने जैसे ही युवती को बरामद कर परिजनों को सौंपने का प्रयास किया, तो SDPI कार्यकर्ताओं ने पुलिस को चारों ओर से घेर लिया।

यह रिपोर्ट, **वर्ष** 2017 **से** 2025 तक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के कार्यकर्ताओं द्वारा गैर-मुस्लिम महिलाओं और युवतियों का धर्मांतरण कराने की **5 घटनाओं** पर आधारित है।

S.No.	Year	Incidents	Image/Source
1)	3 जुलाई 2025 **कोल्लम** (केरल)	**घर से लापता युवती मिली SDPI के कार्यकर्ता के घर** "कोट्टारक्करा में एक प्रतिष्ठित हिंदू परिवार की लापता युवती सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के एक मुस्लिम कट्टरपंथी कार्यकर्ता के घर से बरामद हुई। जब केरल पुलिस ने युवती को बरामद कर परिजनों को सौंपने का प्रयास किया, तो SDPI कार्यकर्ताओं ने पुलिस को चारों ओर से घेर लिया। पुलिस ने अंततःयुवती को SDPI कार्यकर्ताओं के चंगुल से मुक्त कराया।	 Newsminute24 X Link
2)	4 नवंबर, 2024 **इरोड** (केरल)	**हिंदू महिला एम. अरथी का धर्मांतरण कराने वाला SDPI कार्यकर्ता गिरफ्तार** सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के कार्यकर्ता, 45 वर्षीय हसन बदरुशा (कोल्लमपलायम निवासी) ने सत्यामूर्ति नामक युवक की पत्नी एम. अरथी और उनकी 14 वर्षीय बेटी को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कुरान दी और हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहीं। बदरुशा ने अरथी को तलाक लेकर खुद से शादी करने का भी प्रस्ताव दिया। *जब सत्यामूर्ति ने इसका विरोध किया तो 8 जून 2024 को बदरुशा ने सत्यामूर्ति पर हमला किया और एक बार फिर हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए।* सत्यामूर्ति की शिकायत के आधार पर 2 नवम्बर 2024 को थुडियालुर पुलिस ने हसन बदरुशा के खिलाफ केस दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।	 Thecommunemag

3)	9 अगस्त, 2019 **पथनमथिट्टा** (केरल)	**SDPI कार्यकर्ता ने पत्नी और बेटी दोनों का करवाया धर्मांतरण** केरल की महिला बिंदु थंकम कल्याणी ने SDPI कार्यकर्ता अपने पति कमल सी. नजमल (Kamal C. Najmal) और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दी कि उनके पति ने SDPI के मुस्लिम कट्टरपंथियों से पैसे लेकर उनकी बेटी भूमि का इस्लाम में जबरन धर्मांतरण कराया।	 Opindia
4)	16 अगस्त, 2017 **कोट्टायम** (केरल)	**SDPI सदस्य शाफिन जहां से अखिला अशोकन के निकाह के बाद न्यायिक फैसले** सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) का सदस्य शाफिन जहां ने दिसंबर 2016 में हिंदू युवती अखिला अशोकन को अपने चंगुल में फंसाकर पहले उसका धर्मांतरण (बाद में नाम रखा गया 'हादिया') करवाया और फिर उससे निकाह कर लिया। हादिया के पिता के. एम. अशोकन ने पुलिस से बताया कि मुस्लिम संगठनों ने उनकी बेटी को विदेश (सीरिया या अफगानिस्तान) भेजने की साज़िश के उद्देश्य से उसका धर्मांतरण करवाया। केरल हाई कोर्ट ने मई 2017 में इस शादी को "शून्य और अमान्य" घोषित कर दिया और हादिया को उसके माता-पिता की कस्टडी में भेज दिया। 8 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने हदिया को अपनी इच्छा से धर्म चुनने और शाफिन जहां से पुनःविवाह करने की अनुमति देते हुए हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया।	 Indiatoday
5)	10 जुलाई 2017 **कासरगोड** (केरल)	**अथीरा को एसडीपीआई कार्यकर्ता भेजने वाला था इस्लामिक सेंटर** कासरगोड ज़िले की रहने वाली 23 वर्षीय अथीरा, 2017 में अचानक घर से लापता हो गई थीं। जब वह वापस लौटीं, तो वह बुर्का और हिजाब में थीं। उनका नया नाम था "आयशा"- उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। एसडीपीआई-पीएफआई कार्यकर्ता सिराज द्वारा अथीरा को तीन इस्लामिक संस्थानों - पोन्नानी का थर्बियत-उल-सभा, सथ्यासरनी और मलप्पुरम - में धार्मिक शिक्षा के लिए भेजने की योजना बनाई गई थी। अथीरा ने बताया कि कॉलेज के दिनों में उनके अधिकांश दोस्त मुस्लिम थे। वे लगातार हिंदू धर्म को "अवैज्ञानिक" और	 Organiser Theprint

		इस्लाम को "सत्य धर्म" कहकर उन्हें प्रभावित करते थे। 27 जुलाई 2017 को अथीरा ने कन्नूर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें राज्य महिला गृह भेज दिया।	